Pl circulate to all PDs/ROs.
K. [illegible] 03/12/14
CGM(CO)

GM(CO) KVS

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 616] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2014/कार्तिक 30, 1936
No. 616] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2014/KARTIKA 30, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 831(अ).—केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण), नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षित नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) द्वतीय संशोधन नियम, 2014 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण), नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में खंड (ज) में निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(जक) 'फास्टैग' से किसी ऑनबोर्ड यूनिट (ट्रान्सपोंडर) अथवा वाहनों के सामने वाली विंड स्क्रीन पर लगी ऐसी कोई युक्ति अभिप्रेत है", और

"(जख) "फास्टैग टोल प्लाजा लेन" फास्टैग अथवा ऐसी किसी युक्ति के साथ फिट वाहनों के संचलन के लिए टोल प्लाजा की एक अनन्य रूप से कोई लेन है"

3. मूल नियमों में नियम 6 के उप नियम (3) में—

(क) "अथवा स्मार्ट कार्ड के माध्यम से" के पश्चात् "अथवा फास्टैग के माध्यम से" शब्द और अंक अन्त:स्थापित किये जाएंगे।

(ख) विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि यदि टोल प्लाजाओं के "फास्टैग लेन" में प्रवेश कर रहे वाहन में "फास्टैग" ना लगा हो तो नियम 4 के उप नियम (2) के अनुसार यानों के प्रवर्ग पर प्रयोज्य फीस के दो गुणा के समतुल्य फीस का भुगतान करना होगा"।

[फा. सं. एच-25016/01/2014-टोल]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण), नियम, 2008 भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3 उप खंड-(i) तारीख 5 दिसम्बर, 2008 में सं. सा.का.नि. 838 (अ), द्वारा प्रकाशित किये गये थे और सा.का.नि. सं. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010 सं.सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सं. सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011 और सं. सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013 द्वारा संशोधित किये गये थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2014

G.S.R. 831(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 read with sub-section (1) of section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the principal rules) in rule 2, after clause (h), the following clause shall be inserted, namely:—

"(ha) "FASTag" means an onboard unit (transponder) or any such device fitted on the front wind screen of the vehicles; " and

"(hb) "FASTag lane of toll plaza" is an exclusive lane in the toll plaza for movement of vehicles fitted with "FASTag" or any such device."

3. In the principal rules, in rule 6, in sub-rule (3),—

(a) after "or through smart card" the words and letters "or through FASTag" shall be inserted;

(b) after the existing proviso device the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that user of the vehicle not fitted with "FASTag" entering into "FASTag lane" of the Toll Plazas shall pay a fee equivalent to two times of the fee applicable to that category of vehicles as per sub-rule (2) of rule 4.".

[No. H-25016/01/2014-Toll]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Note : The National Highways Fee (Determination of Rates and Collections) Rules, 2008 were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) published in the Gazette of India *vide* No. G.S.R 838(E), dated the 5th December, 2008 and amended *vide* No. G.S.R. 950(E), dated the 3rd December, 2010, No. G.S.R. 15(E), dated the 12th January, 2011 and No. G.S.R. 756(E), dated the 12th October, 2011, No. G.S.R.778(E) dated the 16th December, 2013 and No. G.S.R. 26(E), dated the 16th January, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.